न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 18/2011

श्रीमती आशिया बानो पत्नी मोहम्मद शरीफ जाति मुसलमान, निवासी ग्राम गेगल तहसील व जिला अजमेर। --------अपीलान्ट

बनाम

1. अब्दुल गफूर पुत्र मोहम्मद शाह, जाति फकीर मुसलमान निवासी किशनगढ हाल आबाद ग्राम गेगल तहसील व जिला अजमेर।
2. जमीला पत्नी गफूल शाह, जाति फकीर मुसलमान निवासी किशनगढ हाल आबाद ग्राम गेगल, तहसील व जिला अजमेर।
3. तहसीलदार अजमेर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री समीर अहमद — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री खडगसिंह, शिवप्रकाश चौधरी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी — राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 28.12.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गेगल तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं0 691 रकबा 12–05–10 बीघा किस्म बारानी 2 का नामान्तरकरण संख्या 848 दिनांक 11.10.2010 के द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं0 01 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। तहसीलदार अजमेर के इसी आक्षेपीय आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टस को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों0 सं0 01 व 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

सर्वप्रथम रेस्पों. अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से कथित नामान्तरकरण की पूर्व में जानकारी नहीं थी। दिनांक 20.02.2011 को अप्रार्थी सं0 01 द्वारा खुले आम जमीन बेचने की धमकी देते हुए अपने नाम नामान्तरकरण होने की कहने पर प्रार्थिया द्वारा राजस्व अभिलेख की जानकारी किये जाने पर आक्षेपित नामान्तरकरण की जानकरी होने पर दिनांक 24.2.2011 को नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 25.02.2011 को नकल प्राप्त हुई। गॉव जाकर परिवार में सलाह मशवरा कर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा जानकारी बाद अपील प्रस्तुति में कोई लापरवाही नहीं की है, जो विलम्ब हुआ वह सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमावें। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अभिभाषक अपीलान्टस ने अपील तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गेगल तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं0 691 रकबा 12–05–10 बीघा किस्म बारानी 2 के खातेदार छोटू शाह व चांदशाह पुत्रान सुबराती शाह बहिस्सा बराबर थे। छोटू शाह का देहान्त दिनांक 21.8.87 को होने पर उनकी दो जायन्दा पुत्रीया जुबेदा व जमीला के नाम विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक होकर वादग्रस्त भूमि में 1/4 –1/4 हिस्सा दर्ज हो गया, जिसमें से जुबेदा पुत्री छोटूशाह का हिस्सा अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2006 के द्वारा द्वारा क्रय कर अपीलान्ट काबिज काश्त रही। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर दिनांक 22.5.2009 को अपने पक्ष में निर्णित करवा लिया। जिसकी अपीलान्ट को जानकारी होने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से मिलीभगत कर बिना मौके पर कब्जे काश्त की जांच किये आक्षेपित नामान्तरकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं भूमि के कब्जे के सन्दर्भ में जांच किये बिना आक्षेपित नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। इस कारण नामान्तरकरण संख्या 848 दिनांक 11.10.2010 त्रूटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजी बाबत तहसीलदार अजमेर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में खोला गया आक्षेपित नामान्तरकरण निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1, 2 ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार छोटूशाह द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी पत्नी बशीरन की रजामन्दी से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 19.07.1987 को रूबरू गवाहन वसीयत निष्पादित कर दी थी। इस वसीयत के आधार पर ही न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशि0) अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 22.5.2009 से रेस्पोडेन्ट स0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में डिक्री किया गया। माननीय न्यायालय की इसी आदेश/डिक्री की पालना में आक्षेपित नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशि0) अजमेर के आदेश दिनांक 22.5.2009 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है। डिक्री/आदेश की अपील के विचाराधीन रहते अपीलान्ट इस स्तर पर कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर सव्यय खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया रिकार्ड पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशि0) अजमेर के डिक्री/आदेश दिनांक 22.5.2009 की पालना में आक्षेपित नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट द्वारा डिक्री/आदेश दिनांक 22.5.2009 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के यहॉ अपील भी प्रस्तुत कर रखी है, जो विचाराधीन है। अपीलान्ट वांछित अनुतोष हेतु अपना पक्ष न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष विचाराधीन अपील में प्रस्तुत करें। अतः अपील अपीलान्ट्स उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर इस स्तर पर चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.12.2016 को मेरे इजलास सुनाया गया।

28/12/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner